P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-9* December- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

महिला अधिकार : दशा एवं दिशा

सारांश

''अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियाँ है, जिसके बिना सामान्यतया कोई व्यक्ति सर्वोत्तम रूप पाने की आशा नहीं कर सकता। '' [1]

हैराल्ड जे. लास्की

मानव अधिकार के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को बिना किसी विभेद के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, परन्तु इसी के सामने समाज के कुछ वर्गों, जिनमें विशेषतः महिला, बच्चे, अल्पसंख्यक एवं शरणार्थी वर्ग को रखा जा सकता है, कि विशेष परिस्थितियों एवं उन दयनीय दशा और उन्हें अन्य वर्गों के समक्ष लाने के लिये कुछ विशेष प्रावधान करना अनिवार्य होता है। इसी के तहत अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं। विश्व जनगणना 2011 के अनुसार विश्व के कुल जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है अर्थात् प्रारम्भ से ही विश्व में महिलाएं समाज का एक अभिन्न अंग है, कि स्थिति भारत में नहीं अपितु विश्व के सभी देशों में प्रारम्भिक काल से ही दयनीय रही है। महिलाओं के साथ हमेशा से ही अत्याचार किये जाते रहे हैं। महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु के रूप में माना जाता रहा है। जिसका प्रमुख कारण महिलाओं का अशिक्षित होना एवं आर्थिक रूप से स्वावलम्बी न होना रहा है।

इरसाद अली खॉ
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय बाँगड़ पी.जी.
महाविद्यालय,
डीडवाना,राजस्थान

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार, यौन उत्पीड़न।

प्रस्तावना

महिलाओं के अधिकारों में कमी मानव सभ्यता के विकास के साथ होती गयी है और समय के साथ–साथ महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ते गये हैं। आधुनिक समाज अर्थतन्त्र का दास बन गया है जहाँ सम्पति संग्रह को आत्मीयता से अधिक महत्व दिया जाता हैं। पूँजीवार से सत्तावाद, सम्पत्ति, विलासितावाद, भोगवाद की ओर बढ रहा हैं। वहीं नैतिक आदर्शात्मक मूल्यों का इस वर्तमान समाज में कोई स्थान नहीं है। इस अर्थयुगीन समाज में नारी अस्तित्व की एक विडम्बना है आंतकित होने के लिए स्त्री एक कमजोर प्राणी का नाम है। महिलाओं के अधिकारों के हनन् के विभिन्न तरीके है, जिसमें महिलाओं के साथ–साथ मासूम और अबोध बालिकाएँ भी सदियों से पुरूषों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकार होती रही हैं। महिलाओं के अधिकारों के हनन् का एक तरीका महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक कृत्य हैं। जिनके अन्तर्गत परिवार में पति द्वारा समाज में उच्च वर्ग द्वारा एवं कार्यकारी स्थान पर नियोक्ता द्वारा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र में अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य रखें है–

1. महिलाओं में सशक्तिकरण एवं जागरूकता लाना।
2. समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करना।
3. विश्व स्तर, भारत और राजस्थान में महिलाओं की स्थिति का आंकलन करना।
4. सभी धर्मो में महिलाओं की स्थिति का अंकन करना।
5. महिला उत्पीड़न के तथ्यों के माध्यम से न्याय का उल्लेख करना।
6. संवैधानिका उल्लेख के माध्यम से महिलाओं की स्थिति का सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास करना।
7. प्रयास कियें गये वैधानिक एवं कानूनी स्वरूप की व्याख्या करना।
8. महिलाओं की दशाओं का उल्लेख करते हुये महिलाओं की दिशा सुधारने का प्रयास करना।

साहित्यावलोकन

डॉ. पुष्पम, सदगुरू (2016) ने अपने शोध पत्र मानवाधिकार तथा महिला सशक्तिकरण में बताया कि महिलाओं की स्थिति में अमूल–चूक परिवर्तन देखने को मिल रहा हैं। डॉ. त्रिपाठी, सुनिता (2016) ने अपने लेख भारत में

महिलाओं की स्थिति एवं मानवाधिकार : एक समीक्षा में लिखा है कि 21 वीं सदी महिला मानवाधिकार की चुनौति को पूरा करने के लिए हमारा मुख्य लक्ष्ण स्त्री–पुरूष समानता और उनके बीच न्याय का होना चाहिए। मनशेर खाँ ने अपने शोध पत्र (2017)में भारत में महिला मानवाधिकार एवं महिला उत्पीड़न संवैधानिक स्थिति, समस्याएँ तथा समाधान (नागौर जिले) के विशेष सन्दर्भ में अध्ययन में सुझाव में महिला जागरूकता पर बल देते हुए संरक्षण हेतु नियम कानून का सख्ती से लागू होना चाहिए।

धार्मिक स्थिति

किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी महिलाओं को कमजोर, कमतर नहीं बताया गया है। हिन्दू धर्मानुसार विश्व को ईश्वर ने रचा है, लेकिन उसे नारी ही चलायमान रखती है। नारी के बिना ईश्वर भी अधूरे है। स्वयं अर्धनारीश्वर इसका प्रमाण हैं।[2] यह तो समाज में आई विकृतियों एवं उपभोगवादी प्रकृति ने महिलाओं को असूरक्षा को बढ़ा दिया है। एक श्लोक के अनुसार–

यत्र नारीयस्तु पूजेन्ते ।
रमंते तत्र देवता ।।

भारत में मान्यता है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं और जहाँ महिलाए पीड़ित होती है उस कुल का विनाश होता है। दुर्भाग्य है कि जिस देश में नवरात्रा के दिन घर–घर में कन्या पूजन होता हो, वहां महिलाओं का खुलेआम चीर–हरण होता है और समाज मूक दर्शक बन जाता है।[3]

इस्लाम में महिलाओं के बारे में कहा कि प्रिय पुरूष, तुम शायद सोचते हो कि उसे तुम्हारा धन चाहिए, उपहार चाहिए। पर सच यह है कि उसे तुम्हारा वक्त चाहिए, ईमानदारी चाहिए, मुस्कुराहट चाहिए। मुसलमानों में जिस मनुष्य के बेटियाँ होती है वह स्वर्ग (जन्नत) का हकदार होगा, इस कारण मुस्लिम समुदाय में लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ और मुसलमान के लड़की होने पर वह अपने आप को गौरवशाली समझता है' जिसके केवल बेटे ही बेटे होते हैं, वह अपने आप को कमजोर समझता है और अल्लाताल्लाह से गुजारिश करता है कि मेरे भी बेटी हों। मोहम्मद साहब के आने से पहले अरब राष्ट्रों में बच्चियों के जन्म लेते ही उसे जिन्दा जमीन में दफना दिया जाता था। जिससे अरब राष्ट्रों में अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी। पैगेम्बर मोहम्मद साहब ने यह ऐलान किया कि अल्लाताल्लाह उसी को बेटियाँ देता है जो जन्नती होगा। सिख धर्म में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है जो राजाओं को जन्म देती है, उसे कैसे कमजोर समझा जा सकता है। पुरूष और स्त्री एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक–दूसरे के बिना अधूरे है। बाइबिल के अनुसार महिला सर्वोच्च है, क्योंकि उसने शक्ति और गरिमा को ओढ़ रखा है। उसकी हंसी निर्भीक है, भविष्य की व्यर्थ चिंता से परे। महिलाएं ही ऐसी है जो पुरूषों को सबकुछ सिखा सकती है। ''स्त्री पैदा नही होती, उसे बनाया जाता है। स्त्री अनुरूप गुण दरअसल समाज और परिवार द्वारा लड़की में भरे जाते हैं। जन्म के समय लड़के और लड़कियों में समान ही गुण होते है।''[4] सिमोन द बोउआर (फ्रांसीसी लेखक)

महिलाओं की दशा

हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. प्रणव मुखर्जी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से हमें महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के प्रति नई प्रतिबद्वता व्यक्त करने का अवसर मिलता है। महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिये अनेक कानून होते हुए भी इस देश में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। केवल कानून से महिलाओं का उद्वार नहीं किया जा सकता । आइए इस महिला दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम भारत की महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने और उनके लियें काम करेंगें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हर हाल में महिलाओं की गरिमा और उनका सम्मान बरकरार रहें।''[5]

''प्राचीन काल में भारत में महिलाओं की स्थिति यूरोप से बहुत बेहतर थी। शक्ति की देवी, विद्या की देवी, रूप की देवी औरत को माना जाता था। आज भी देश में कई हिस्सों में तो मातृवंशी समुदाय रह रहे है। स्त्रियों की जो दुरावस्था आज दिखाई देती है उसके पीछे पहला तो बाहरी आक्रमण तथा दूसरा अंग्रेजीराज रहा है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, इत्यादि जो भी बुरांइया पनपी वह सब बाहरी आक्रमण की वजह है। कुप्रथाएं वहीं पर पनपी जहाँ पर सीधा आक्रमण हुआ जैसे पश्चिम भारत में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उतरप्रदेश, दिल्ली इत्यादि जबकि दक्षिण भारत में यह कुप्रथाएं नहीं है क्यों कि वहां पर बाहरी आक्रमणों को नहीं झेलना पड़ा। दूसरा कारण अंग्रेजो द्वारा भू–संपदा सम्बन्धी कानून बनाया गया। जिसमें स्त्री को जायदाद पर कोई कानूनी हक नहीं दिया गया। इससे यह हुआ कि हम अपने आप से घृणा करना सीखें। प्राचीन काल में मिताक्षरा और दयाभाव कानून काफी कुछ इसके गवाह है कि पारंपरिक रूप में भारत में स्त्री कभी जायदाद और सम्पति के लिये मोहताज नहीं रही। ''[6]

जन्म लेने से पूर्व ही भ्रुण हत्या के माध्यम से महिलाओं को जन्म लेने के अधिकार से ही वंचित कर दिया जाता है अर्थात् महिलाओं को जन्म लेने से पूर्व ही भ्रुण में ही खत्म कर दिया जाता है। इस कारण महिलाओं की संख्या में कमी आती जा रही है। यदि भ्रुण हत्या से बचने के बाद जो बालिकायें जन्म ले लेती है। उनके साथ बाल्य अवस्था में ही बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले दिन–रात सामने आते रहते हैं। बलात्कार व यौन–उत्पीड़न के मामले में वृद्वि का प्रमुख कारण वर्तमान चलचित्रों, सिनेमा, टी.वी., मोबाईल, इंटरनेट इत्यादि है। यदि इससे भी बच जाती है तो महिला की शादी या बाल विवाह का हो जाना है या फिर पूर्ण आयु पश्चात् शादी होने पर उस (महिला) की शादी के लिए दहेज की मांग की जाने लगती है, आये दिन पति व उसके परिवार द्वारा विभिन्न तरीकों से परेशान करना। दहेज उत्पीड़न कभी–कभी तो महिला मृत्यु का कारण भी बन जाती है। परम्परागत तरीका सतीप्रथा जिसमें पति की मृत्यु के साथ ही उसकी पत्नि को पति की चिता पर ढोल–नगारों के साथ जिन्दा ही जला दिया जाता था। (राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को बन्द करवाया था। 1987 में एक केस ऐसा ओर हुआ जिसके बाद कड़े कानून बना दिये गये) आज सतीप्रथा जैसी कुप्रथा बन्द है। पुरूषों एवं महिलाओं को समान कार्य करने पर भी महिलाओं को कम वेतन

दिया जाता है। यह मान्यता है कि अशिक्षा एवं पुरानी मान्यता से महिलाएं शारीरिक रूप से पुरूषों से कमजोर होती है अतः इस कारण ही महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है। यही कारण रहा है कि बेटियां जब जन्म लेती है तो हांडी (राजस्थान में कच्ची मिट्टी का छोटा बर्तन जिसमें राबड़ी इत्यादि बनायी जाती है) फोड़ (तोड़ना) दी जाती है अर्थात् यहाँ पर बेटियों को अपशगुन माना गया परन्तु बेटा जन्म लेता है तो थाली बजाई जाती है, परन्तु जब माँ–बाप बुढापे में बीमार होते हैं तो बेटी माँ–बाप की सेवा उसी हांडी के माध्यम से करती है परन्तु जिस बेटे के लिए थाली बजायी जन्म पर, वह बेटा माँ–बाप को थाली में खाना खिलाने में हिचकिचाता है और माँ–बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देता है।

ऐशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि में लड़कियों का पैदा होना अभिशाप माना जाता है इन देशों में पुत्र प्राप्ति की मानसिकता लम्बे समय से चली आ रही है अर्थात् पुत्र को वंश वृद्वि का कारण माना जाता है। आज भी अमेरिका जैसे विकसित देश में महिलाओं के साथ अत्याचार के उदाहरण देखे जा रहे है। पश्चिम यूरोप व अमेरिकन देशो में महिला अधिकार की आधारशीला व लिंगिय स्वतंत्रता का प्रश्न है ! 1611 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाच्यूसेटस राज्य में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अमेरिका ने सर्वप्रथम यह स्वीकार किया कि '' मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा हुआ है''। किन्तु उसी अमेरिका ने महिलाओं को 80 वर्ष बाद मत देने का राजनीतिक अधिकार दिया। विश्व में 8 मार्च 1914 को पहला अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। विश्व के सम्मुख प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अनुठा उदाहरण पेश करने वाले स्विट्जरलैण्ड ने 1971 में महिलाओं को मताधिकार दिया।

द्वितीय विश्व युद्व के बाद विश्व स्तर पर महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने की दिशा में विश्व स्तरीय प्रयास किये गये तथा नारी स्वतंत्रता, सहभागिता, शक्तिवाद, मुक्ति की बात की गई। ब्रिटेन जैसे देश ने 1948 में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। नारी अधिकार देकर शक्तिशाली बनाने की बात का प्रारंभ UNO ने किया था। इस दिशा में पहल करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र महिला हैसियत आयोग की स्थापना की गयी। मूलतः मानवाधिकार की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को घोषित उस सार्वभौमिक घोषणा पत्र से सम्बंधित है, जिसमें सम्पूर्ण विश्व के समस्त राष्ट्रों के प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने का अधिकार दिया गया। इसके अन्तर्गत जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, जन्म अथवा अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार व स्वतंत्रता दी गई है। यद्यपि मानावाधिकार पुरूष व महिला दोनों वर्गों की दृष्टि से एक ही है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का प्रश्न इसलिए अलग से विचारणीय और महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरूष सत्तात्मक विश्व में लिंग भेद की परम्परा सदियों से चली आ रही है। वस्तुतः मानव जगत में यदि कोई सबसे प्राचीन असमानता अथवा विभाजक रहा है तो वह लिंगभेद है। जाति, धर्म, सम्प्रदाय, रंग आदि सभी विभाजन तथा भेदभावात्मक प्रक्रियाओं का जन्म इसके बाद ही हुआ है। लिंगभेद की अवधारणा ने मानव जीवन को दो ध्रुवों में बाँट कर स्त्री व पुरूष को परस्पर पूरक होने का अवसर न देकर स्त्री को पुरूष का अनुगामी घोषित किया। महिलाओं के मानव अधिकार सर्वव्यापी मानव अधिकारों के अभिन्न अंतरंग और अविभाज्य अंग है क्योंकि महिलाएं, महिलाएं होने के नाते और मानव होने के नाते, भेदभाव विशिष्ट रूप में और समानतौर से संसार को विभिन्न जनसंख्या का अंग होने के नाते प्रत्येक क्षेत्र के मानवाधिकार के मुद्दो से प्रभावित होती हैं। महिलाओं द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की पूर्णता संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता है। अतः संयुक्त राष्ट्र ने महिला अधिकारों हेतु अनेक उपबन्ध किये हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं महिला अधिकार

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि '' हम संयुक्त राष्ट्रों के लोग .....मूलभूत मानवाधिकारों में मानव की गरिमा और महत्व व मूल्य में तथा स्त्री–पुरूष के समान अधिकारों में आस्था करते हैं।'' साथ ही चार्टर में महिलाओं की समानता के अधिकार की घोषणा की गई। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 को सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसका सम्मान करने के लिये बाध्य किया गया। घोषण पत्र के अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत प्रत्येक उस घोषणा पत्र में तय किये गये अधिकारों और स्वंतत्रता हेतु अधिकृत है। बिना प्रजाति, रंग, भाषा, धर्म, सामाजिक उद्भव सम्पत्ति के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा। इस प्रकार घोषणा पत्र में महिलाओं को बिना भेदभाव के अधिकारों की प्राप्ति का अधिकारी माना गया। अनुच्छेद 16(1) के अनुसार वयस्क पुरूष व स्त्रियों को मूल वंश राष्ट्रीयता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना विवाह करने या कुटुम्ब स्थापित करने का अधिकार है। इसके माध्यम से महिलाओं को अपनी पसंद एवं इच्छा के अनुसार विवाह करने का अधिकार प्राप्त होता है। विवाह करने एवं परिवार स्थापित करने में धर्म एवं राष्ट्रीयता के बन्धन को तोड़ देने के कारण ही महिलाओं को अर्न्तजातीय विवाह करने एवं अपना मन पसन्द जीवन साथी चुनने का अधिकार प्राप्त होता है , जो कि सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 23(2) के अन्तर्गत बिना भेदभाव के समान कार्य के लिये समान वेतन का अधिकार है अर्थात् समान कार्य के लियें स्त्रियों एवं पुरूष दोनों को समान वेतन दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अनुच्छेद 26(1) के अनुसार ''सभी व्यक्तियों को शिक्षा पाने का अधिकार है।'' महिला शिक्षा के प्रतिशत जो कि विश्व के सभी देशों में पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम रही है। इस कमी को दूर करने के लिये ही मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में यह प्रावधान किया गया है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है चाहे वह स्त्री हो या पुरूष।[7]

अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएं एवं महिला अधिकार

''सिविल और राजनीतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय करार'' 1966 का अनुच्छेद 2(1) के अनुसार सभी राज्य अपने क्षेत्र में इस करार में स्वीकृत अधिकारों को बिना प्रजाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव अधिकारों का सम्मान और सुनिश्चित करने का वचन देता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार ''सभी सिविल और

राजनीतिक अधिकारों का लाभ उठाने के लिए पुरूष और स्त्रियों को समान अधिकार होंगे।'' इसी प्रकार का प्रावधान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय करार में भी किया गया है।

महिला अधिकारों के विशेष प्रावधान

महिला हैसियत आयोग 1946 – महिलाओं के प्रश्न पर लोगों कों जागृत करने के लिये और राजनीतिक विचार–विमर्श की ओर अग्रसर करने के लिए व महिला हितों की रक्षार्थ (CSW) की स्थापना की गयी। आयोग ने समस्त विश्व में महिलाओं की स्थिति के सम्बंध में आंकड़े एकत्रित किये तथा सार्वभौमिक मानवाधिकार उद्घोषणा का मसौदा तैयार करने में मद्द की तथा वैधानिक दृष्टि से महिलाओं को स्पष्ट समानता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त शारीरिक व्यापार और वेश्यावृत्ति का दबाने के लिये 1949 में भी नीति का निर्माण भी किया गया। 1952 में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर आम सभा में समझौता हुआ। जिसमें कानून के अन्तर्गत समान राजनीतिक अधिकारों का प्रथम विश्वव्यापी अनुमोदन किया गया। 1957 में शादीशुदा महिलाओं को राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में करार घोषित किया गया। 1967 में अंगीकृत महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन की उद्घोषणा महिलाओं के विषय में दूरगामी उपलब्धि थी। इसके अन्तर्गत जीवन और कानून में महिलाओं के लिये समानता का आह्वान किया गया और समानता की संकल्पना को नागरिक और राजनीतिक क्षेत्रों के परे ऐसे अधिकारों के लिए विस्तृत किया, जैसे– शिक्षा, रोजगार के अवसर तथा स्वास्थ्य की देखभाल। साथ ही साथ विवाह या विवाह विच्छेद शैक्षणिक या व्यावसायिक किसी भी क्षेत्र में महिला–पुरूष में भेदभाव वर्जित है। 1970 में पुनः प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि ''महिलाओं के उत्थान में विकास के सभी साधनों का प्रयोग किया जाए।

महिलाएँ अर्न्तराष्ट्रीय वर्ष व दशक की घोषणाएं

महासभा ने 18 दिसम्बर 1972 को बैठक में 1975 को अर्न्तराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने के लिये निर्णय लिया गया। इसमें तीन उददेश्य स्पष्ट किये –

(क) पुरूष और महिलाओं को समानता का दर्जा देना।
(ख) विकास कार्यों में स्त्रियों का योगदान।
(ग) विश्व शांति स्थापना की दिशा में महिला सहयोग प्राप्त करना।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को ट्रिब्यून के नाम से जाना जाता है। इसके तहत प्रथम विश्व कार्य योजना बनाई गई और महिला समानता विकास तथा शांति के लिये प्रथम दशक (1975–1984) की घोषणा की। महिला वर्ष के कार्यक्रमों को नवीन दिशा और सहयोग के बिन्दु पर बल देते हुए इसके निम्न कार्यक्रम बनाए गयें–

1. सामाजिक अन्याय समाप्त होना चाहिये।
2. महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का मानव न समझदार एक समान मानव समझना चाहिए।
3. देश व समाज के निर्माण में महिलाओं की अधिकाधिक साझेदारी
4. विश्व शांति में महिलाओं की अधिकाधिक साझेदारी सुनिश्चित हो तथा महिला विकास व सहयोग की अपेक्षा की जानी चाहियें।
5. महिलाओं के समान वैधानिकता को समान सामाजिक दर्जे में बदला जाना चाहियें।
6. नारी के साथ जन्मजात, जातिगत, धर्म राष्ट्रगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। [7]

महिला अधिकारों से सम्बन्धित घोषणा

1967 में अंगीकृत उद्घोषणा के घोषणा पत्र के सिद्वान्त के बाद एक अनिवार्य अर्न्तराष्ट्रीय समझौता,1979 में आम सभा द्वारा अपनाया गया इसे महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन उद्घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रस्तावना व 30 अनुच्छेद है। इसके अनुच्छेद 1 के अनुसार महिलाओं के विरूद्व भेदभाव मानव अधिकारों और आर्थिक, सामाजिक, नागरीक, राजनीतिक या अन्य किसी क्षेत्र में मौलिक स्वतंत्रताओ का उल्लंघन है। यह पुरूष–महिला समानता पर आधारित है। समझौते को मान्यता देते हुए विश्व के स्वाधीन देशों में महिलाओं पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए सहमति व्यक्त की। समझौता –1. महिलाओं को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन, शिक्षा और रोजगार में समानता तथा अवसर की सुनिश्चितता कराने का आधार प्रदान करता है। 2 महिलाओं को संतानोत्पति अधिकार स्वंय की और उनके बच्चों के लिए राष्ट्रीयता प्राप्त करने, बदलने की स्वीकृति देता है। 3 स्वतंत्र राष्ट्र महिलाओं के देह व्यापार और उत्पीड़न के समस्त स्वरूपों के विरूद्व कदम उठाने पर सहमति देता है। एवं 4 राष्ट्र विधान सहित सभी उपायों पर सहमत है जिससे महिलायें अपने समस्त मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 18 व्यवस्था करता है कि जिन्होंने समझौते को माना है, वे कानूनी रूप पर इसके विधानों को लागू करने के लिये प्रतिबद्व हैं तथा संधि के अनुसार कार्य करने के लिये किये गये उपायों पर राष्ट्रीय रिपोर्ट 4 साल में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेंगे। यह समझौता 3 सितम्बर 1981 को प्रवृत्त हुआ।

महिलाएं तथा विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 1993

महिलाओं के मानवाधिकार की दिशा में दूसरा चरण 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया, यह महिलाओं के विरूद्व हिंसा की समाप्ति पर घोषणा पत्र है। 1993 में वियना में हुए विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में उन सभी मानवाधिकारों की पुनर्पुष्टि की जो 1948 के घोषणा पत्र में शामिल है। 25 जून 1993 को 171 राज्यों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन के लिए कार्य योजना तथा वियना उददेश्य को अपनाया। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में एक नई व्यवस्था बनाई, जो महिलाओं के विरूद्व हिंसा पर रिपोर्ट करने के लिए एक रिपोर्टकर्त्ता की नियुक्ति की गई और महिलाओं के अधिकारों की उन्नति और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया तथा हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा पत्र अपनाया गया। 1994 में काहिरा में हुए अन्तर्राष्ट्रय जनसंख्या तथा विकास सम्मेलन में महिलाओं के संतानोत्पति अधिकार और विकास के अधिकार की पुनःपुष्टि की गई। विश्व में 1990 से 2000 का दशक महिला दशक के रूप में मनाया गया तथा 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।

महिला अधिकारों की जाग्रति हेतु किये गये प्रयास

1. प्रथम विश्व महिला सम्मेलन, मैक्सिको(1975)

2. दूसरा विश्व महिला सम्मेलन, कोपेनहेगन (1980)
3. तीसरा विश्व महिला सम्मेलन, नैरोबी (1985)
4. चौथा विश्व महिला सम्मेलन, बीजिंग(पेइचिंग)(1995)

मैक्सिको सम्मेलन में दो एजेन्सी बनाने का निर्णय लिया गया– (अ) UNIFEN – 1976 संयुक्त राष्ट्रीय विकास फंड (ब) अन्तर्राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान UNSRRA – 1975

नई दिल्ली सम्मेलन 1997

इन सम्मेलन के अतिरिक्त 1997 में 29 सितम्बर से 1 अक्टूम्बर तक '' वीमेन्स पॉलिटिकल वाच'' नामक गैर सरकारी संगठन ने संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से विश्व सासंद सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ाना था तथा इस भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाएं ? और इसे कैसे उत्तरोत्तर बढाया जाएं ? इसी संदर्भ में 10 फरवरी से 14 फरवरी 1997 को भारत की राजधानी दिल्ली में अन्तर संसदीय सम्मेलन व महिला राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 80 देशों के 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें स्त्री–पुरूष भेदभाव समाप्त करने व नारी को सत्ता में भागीदारी देने की वकालत की गई।

महिला अधिकारों हेतु विभिन्न देशों द्वारा समय–समय पर किये गये प्रयास

वर्तमान समय में विश्व में महिलाओं के समुचित विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। इसी आधार पर 21 वीं शताब्दी को महिलाओं की शताब्दी के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। रूस में 1993 में '' वीमेन ऑफ एशिया'' नामक राजनीतिक संगठन बनाया गया।

महिला अधिकार एवं भारतीय स्थिति

सदियों से भारत में सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, दहेज प्रथा, अधिकार विहीनता, रूढ़िवादिता समाज का अंग था। 1917 में भारतीय महिला संघ, 1926 में भारतीय महिला परिषद , 1927 में भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को लागू करने के लिए 1950 में संवैधानिक उपाय किये गये। भारत में संविधान की प्रस्तावना में ''हम भारत के लोग.....।'' शब्द से प्रारम्भ है जिसका अर्थ है स्त्री व पुरूष को समानता का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया हैं, जिसके अनुच्छेद 15(1) राज्य किसी नागरिक के विरूद्व किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्मवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी निर्योग्यता दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद को कोई भी प्रावधान राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिये विशिष्ट प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद के सम्बन्ध में धर्म, देश, जाति, लिंग के आधार पर कोई नागरिक अयोग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 21 में यह प्राण–दैहिक स्वतंत्रता और संरक्षण का अधिकार की व्यवस्था करता है। यह अधिकार स्त्री व पुरूष को समान संरक्षण देता है।

भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विशेष रूप से अनुच्छेद 39 में पुरूष व स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हों। पुरूष और स्त्री कार्यकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरूपयोग न हों। महिलाओं के लिये प्रसूतिकाल में राहत की व्यवस्था तथा काम के स्थान पर मानवीय सुविधा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 43 में यह मजदूरों के लियें वेतन तथा अच्छा जीवन जीने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 44 में राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिये समान दीवानी संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्व है।

भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 325 व 326 में निर्वाचक नामावली में महिला और पुरूष को समान रूप से मत देने और चुने जाने का अधिकार देता है।[8]

भारत में महिला मानवाधिकारों को मूल अधिकारों के साथ जोड़ा गया है तथा महिलाओं के लिए विस्तृत अधिकारों की विवेचना भी की गई तथा इस संदर्भ में संविधान के अलावा भी विभिन्न अधिनियमों को स्थान दिया गया है–

1. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (संशोधित 1976)
2. चलचित्र अधिनियम, 1952
3. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
4. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956
5. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (संशोधित 1986)
6. दहेज निवारण अधिनियम, 1961 (संशोधित 1986)
7. औषधियों द्वारा गर्भ गिराने से सम्बन्धित अधिनियम, 1971
8. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
9. स्त्रीं अशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1986
10. सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1987
11. 73 वाँ एवं 74 वाँ संविधान संशोधन, 1993 1/3 आरक्षण
12. प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, 1994
13. घरेलू हिंसा से महिला सरंक्षण अधिनियम, 2005
14. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
15. बाल न्याय (सुरक्षा और संरक्षण) अधिनियम, 2005
16. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
17. किशोर न्याय (देखभाल एवं बाल संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संशोधित 2011)
18. अशोभनीय चित्रण (प्रतिबंध) संशोधन विधेयक, 2012
19. यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012
20. राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण नियम, 2015

महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजनाएं–

1. ड्वाकरा योजना (DWACRA), 1982
2. न्यू मॉडल चर्खा योजना, 1987
3. नौराड प्रशिक्षण योजना, 1989
4. महिला स्वमाख्या योजना, 1989
5. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, 1992

6. किशोरी बालिका योजना, 1992
7. महिला समृद्वि योजना, 1993
8. राष्ट्रीय महिला कोष, 1993
9. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, 1994
10. इंदरा महिला योजना, 1995
11. मार्जिन मनी ऋण योजना, 1995
12. ग्रामीण महिला विकास परियोजना, 1996
13. राज राजेश्वरी बीमा योजना, 1997
14. स्वास्थ्य सखी योजना, 1997
15. बालिका समृद्वि योजना, 1997
16. भारतीय महिला बैंक, 2013

1979 में भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय संविदा और साथ ही सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर संविदा का सदस्य बन गया हैं। भारत में वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया गया। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने उन्हें शोषण और अत्याचार से मुक्त कराने व संवैधानिक अधिकारों के क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिये 1990 में संसद द्वारा महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया। इसी संदर्भ में भारत में 1992 में राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग का गठन किया गया। विश्व महिला सम्मेलन 1995 के बाद नारी विकास की योजना भारत सरकार ने भी बनाई। इस हेतु राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया। श्रीमती मोहनी गिरि के अनुसार महिलाएं जब तक अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष नहीं करेंगी तब तक पुरूष समाज उनको कुछ नहीं देगा। 21 नवम्बर 1995 को राष्ट्रीय नीति का प्रारम्भिक प्रारूप जारी किया। इसमें –

1. महिलाओं की राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी।
2. महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव समाप्त किया जावें।
3. महिलाओं के उत्थान के लिये समूचित मशीनरी का विकास।
4. महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पति सूचना में बराबरी का अधिनियम ।
5. लिंग आधारित जनगणना का विश्लेषण का समाज में स्थापित कमियों को दूर किया जावें।

संसद में महिलाओं के आरक्षण के लिये 1996 से विधेयक लम्बित पड़ा है। विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया था। लोकसभा में पेश किया गया लेकिन 2014 में लोकसभा भंग होने के साथ ही शून्य हो गया।

18 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में एक महिला के साथ हुए दुराचार के पश्चात् केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ते कदम उठाये है। अब महिलओं के साथ दुर्व्यवहार के लिये सजा तय कर दि गई है। प्रत्येक घंटे में 39 जुर्म महिलाओं के विरूद्व वर्ष 2016 के दौरान हुए और 55.2 अपराध प्रति 1 लाख महिलाओं पर 33 प्रतिशत महिलाए अत्याचार, पति या अन्य रिश्तेदारों द्वारा प्रत्येक 4 घंटे में एक महिला के साथ दुष्कर्म, 11 प्रतिशत दुष्कर्म के मामलें कुल महिला अपराधो में, 38947 अपराध महिलाओं के खिलाफ वर्ष 2016 में, 110378 मामले देश में प्रताड़ना के जिसमें प.बंगाल में 29302, राजस्थान में 13811 तथा उत्तरप्रदेश में 11156 मामले थे। 1.5 लाख अपराध बढ़े महिलाओं के विरूद्व पिछले दशक में, 2007 में जहाँ 185312 थे वहीं 2016 में 338954 (स्त्रोत NCRB) अपराध में जूर्म साबित होने की दर मेघालय में 90.7% , राजस्थान में 34.5% , मध्यप्रदेश में 27.7% तथा छत्तीसगढ में 27% रही। साबित जूर्म दर 2015 में 18.9% थी वहीं 2016 में 21.7% रही।[9]

राजस्थान में 127 घटनाएं डायन बताकर प्रताड़ित करने की हुई सितम्बर 2017 तक डायन प्रथा अधिनियम 2015 बनने के बाद तथा 3616 शिकायतें पहुंची महिला आयोग के पास वर्ष 2016 में, इसमें निस्तारित हुई महज सिर्फ 25 रही। राज्य के 861 थानों में महिला पुलिसकर्मी ही नही रही।राजस्थान में। 4218 मामले दर्ज हुए छेड़छाड़ के इस वर्ष में तथा राजस्थान सरकार के गृह मंत्री के गृह जिले में महिला कांस्टेबल ही महफूज नही रहीं।[10]

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) ने 2016 में पूरे देश में हुए अपराधों के आंकड़े जारी किए है, जिसके अनुसार महिलाओं के प्रति हिंसा के 2016 में 338954 मामले दर्ज किए गए, जो 2015 में 329243 के मुकाबले 2.9%, ज्यादा है। इनमें 14.5% मामले उत्तरप्रदेश में, 9.6% पश्चिम बंगाल में हुए। आपराधिक मामलों में उत्तरप्रदेश सबसे आगे है। वहाँ महिला उत्पीड़न (घरेलू हिंसा) के 110378 एवं यौन हमले के 84746 मामले दर्ज हुए। देश में दुष्कर्म के मामले 2015 की तुलना में 2016 में 12.4% बढ़े हैं। 2016 में देश में 38947 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा उत्तरप्रदेश रहा जहाँ 4816 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। राजस्थान का चौथा नम्बर रहा जहाँ 4189 मामले दर्ज हुए।[11]

निष्कर्ष

महिलाओं के पिछड़ने के मामले में उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है लेकिन इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है उनके प्रति समझ और रवैया। भारत में धार्मिक विश्वास भी काफी हद तक महिलाओं के सामाजिक स्तर के लिये जिम्मेदार कहे जा सकते है। भारत के लोग भूमंण्डलीकरण के नाम पर हो रहे अन्य परिवर्तन स्वीकार कर लेना चाहते है लेकिन महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने के लिये वें तैयार नहीं होते। बहुत से अभिभावक अब भी विश्वास करते है कि बुढापे में माता–पिता के सहारे के लिये बेटे का होना जरूरी है। इस बात के प्रमाण है कि बेटियाँ ही आगे आकर माता–पिता का ध्यान रखती है इसके बावजूद वे उनसे भेदभाव करते है यहां तक की बेटे को इंगलिश मिडियम मंहगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेजते है और बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते है जहां न तो सरकार द्वारा पढ़ाने वाले पूरे शिक्षक होते है और न ही पूर्ण माहौल पढ़ने का होता है। यह भदेभाव है नहीं तो क्या है। बेटे को अच्छा खिलाते है बेटियों को ठण्डी–रात की बच्ची हुई रोटियां खिलाते है।

वर्तमान महिला शिक्षा को बढावा देने के लिये सभी देशों में एवं सभी स्तरों पर प्रयास किये जा रहे है। जिसके परिणाम भी सकारात्मक आ रहे हैं और वर्तमान में विश्व में महिला साक्षरता का प्रतिशत दिनों–दिन बढता जा

रहा है। इसी प्रकार महिलाओं को रोजगार में समानता के अधिकार के साथ ही उनके लिये कुछ स्थानों को आरक्षित रखने के प्रावधान किये गये है, जिससे सरकारी नौकरियों में महिलाओं का प्रतिशत बढता जा रहा है और महिलाएं आज अधिक सशक्त होती जा रही है। महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सहभागिता बढाने के लिए इनके लियें स्थानों का आरक्षण किया जाना भी महिलाओं के अधिकार के संरक्षण की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतीतकाल में ही समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसी भी स्वस्थ और विकसित समाज के निर्माण एवं विकास में स्त्री तथा पुरूष दोनों की परस्पर सहभागिता व साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। स्त्री व पुरूष को समाजरूपी गाड़ी के दो पहियों के समान माना जाता है। अतः समाज के विकास एवं निर्माण के लियें स्त्री व पुरूष की सहभागिता अनिवार्य होती है। विकास के साथ–साथ नैसर्गिक सिद्वान्त की पालना तथा पर्यावरण संतुलन के लिये नितांत आवश्यक है। भारत सरकार ने निर्भया फंड बना दिया है जिसमें महिलाओं को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। यह प्रयास सराहनीय है।

महिलाओं को सभी क्षेत्रों में (राजनीतिक, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में) 50 % आरक्ष्रण दिया जावें क्योंकि महिलाएं कुल जनसंख्या की लगभग 50% है।महिलाओं को आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर में सुधार करने के लिये सरकारी स्तर पर ओर अधिक प्रयास करना चाहिए। महिलाओं द्वारा महिला पर किये गये अत्याचारों पर उसे भी पुरूषों द्वारा किये गये अत्याचार के बराबर दण्डनीय माना जायें। महिलाओं को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक नुकसान पँहुचाने वाले को कठोर से कठोर सजा (मृत्यु दण्ड़, आजीवन कारावास) का प्रावधान हो। मुसलमानो में ही नहीं अपितु सभी धर्मो में तीन तलाक दिये जाने वाले पुरूष को कठोर सजा दी जाये, जिसमें मृत्यु दण्ड़, आजीवन कारावास दिया जाये या तलाक देने वाले पुरूष को नपुंसक बना दिया जाये।

''बेटियां अनमोल है'' कार्यक्रम राजस्थान के सभी महाविद्यालयों में एक साथ 17 नवम्बर 2017 को मनाया गया, यह एक सराहनीय कदम रहा। इस कार्यक्रम ने विश्व रिकार्ड बनाया। इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिये।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *हैराल्ड जे. लास्की – ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स*
2. *कटारिया, के नारी जीवन – वैदिक काल से आज तक, यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2003*
3. *राजस्थान पत्रिका, रविवार, 17 दिसम्बर 2017*
4. *डॉ. ज्ञानप्रकाश पिलानिया –'उनकी'सुरक्षा पर समाज मौन क्यों ..... ?, राजस्थान पत्रिका, नागौर संस्करण, संपादकीय लेख, पृष्ठ 10, 21.12.2017*
5. *राजस्थान पत्रिका, नागौर संस्करण, 8 मार्च 2015, पृष्ठ 14*
6. *राजस्थान पत्रिका, मधु किश्वर– वरिष्ठ पत्रकार, 8 मार्च 2015, पृष्ठ–14*
7. *डॉ. संजय सिंह – ''संविधान और मानवाधिकार'' 2011, ओमेशा पब्लिकेशन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली*
8. *प्रो. आर.पी.जोशी – मानव अधिकार एवं कर्तव्य एवी पब्लिकेशन, अजमेर 2003 पृ–114–133*
9. *राजस्थान पत्रिका, रविवार, 17 दिसम्बर 2017*
10. *राजस्थान पत्रिका, नागौर संस्करण, आधी आबादी, 15 दिसम्बर 2017, पृष्ठ 10*
11. *डॉ. ज्ञानप्रकाश पिलानिया –'उनकी'सुरक्षा पर समाज मौन क्यों ..... ?, राजस्थान पत्रिका, नागौर संस्करण, संपादकीय लेख, पृष्ठ 10, 21.12.2017*